



# भाकृअप-राष्ट्रीय लीचीअनुसंधानकेन्द्र ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON LITCHI



मुशहरीप्रक्षेत्र, मुशहरी, मुजफ्फरपुर-842002 (बिहार), भारत  
Mushahari Farm, Mushahari, Muzaffarpur - 842002 (Bihar) India  
फोनPh: 0621-2289475, 2281161 Website: www.nrclitchi.org.in Email: nrclitchi@yahoo.co.in फैक्सFax: 0621-2281162

F.No.NRCL/Farm 2020-21/720405

20.05.2021

## नोटिस

राष्ट्रीय लीची अनुसन्धान केंद्र के प्रक्षेत्र में बाहय श्रोत से अंतरवर्ती फसल लगाने हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है, जो भी इच्छुक व्यक्ति / निविदा कर्मी फसल लगाना चाहता है वो निविदा के माध्यम से आवेदन कर सकता है। निविदा केवल 6 माह से 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा।

फसल लगाने हेतु उपलब्ध क्षेत्र एवं फसल का चयन का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :-

फसलों के प्रकार	प्लाट	उपलब्ध क्षेत्र (एकड़)	फसलों का चयन	फसल करने की समय सीमा
मुख्य फसल	प्रोविंशियल ट्रायल	3	धान /गेहू/मूंग / बाकला /मसूर/ सब्जी	1 वर्ष (1 जुलाई 2021 - 30 जून 2022)
अंतरवर्ती फसल	नई जीन बैंक	2	सरसो / गेहू/ मूंग /मक्का /मसूर /बाकला /सब्जी	6 माह (1 अक्टूबर 2021 - 31 मार्च 2022)
	वैरायटी इवैल्यूएशन ट्रायल	2.5	सरसो / गेहू/मूंग / मसूर/ बाकला / सब्जी	
	क्लोनल	1.5	सरसो /गेहू/मूंग /मसूर / बाकला /सब्जी	
कुल		9.0		

कोई भी इच्छुक व्यक्ति/ निविदा कर्मी अपनी निविदा पत्र के माध्यम से डाक के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अबधी (समयकाल) में कार्यालय में निम्नलिखित पते पर 05.06.2021 के पहले जमा कर सकते हैं।

आवेदन पहुंचने के उपरांत निविदा को खोलने की सूचना निविदाकर्ता को दे दिया जाएगा।

निविदा करने का पता :-

सेवा में

निदेशक

राष्ट्रीय लीची अनुसन्धान केंद्र,

मुशहरी, मुजफ्फरपुर (बिहार) 842002

निविदा के प्रारूप को संस्थान के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

शर्तें लागू :-

- (1) फसल की बुआई से कटाई /प्रबंधन के दौरान लीची के पौधे को किसी प्रकार की हानि या क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए
- (2) प्रक्षेत्र में बाहय श्रोत से फसल उत्पादन करने की समय सीमा केवल ऊपर दिए गए समयानुसार ही होगी समय निविदा खुलने के उपरांत से मान्य होगा
- (3) फसलों में होने वाले सभी प्रकार का प्रबंधन, देख रेख एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदा कर्मी की होगी
- (4) निविदा के बाद चयन किये गए निविदा कर्ता को 50% की नीलामी राशि नीलामी के तुरंत बाद जमा करना होगा। बाकी आधी राशि प्रथम फसल कटाई के पहले जमा करना होगा। पूर्ण राशि जमा होने के बाद ही मुख्य द्वार के बाहर फसल ले जाने की अनुमति होगी।

प्रक्षेत्र प्रबंधन